न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– सुनिता यादव (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
75/09	30.03.2009	02.03.2020

उनवान

1. मातादीन
2. छाजूसिंह पुत्रान फकीरसिंह जातियान राजपुत निवासीयान छापूर तह0 मुण्डावर जिला अलवर , राज0

–: वादीगण

बनाम

1. नन्दसिंह
2. नागरसिंह
3. सत्यनारायणसिंह पुत्रान सुरजभान जातियान राजपूत निवासीयान छापूर तह0 मुण्डावर जिला अलवर , राज0
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर , राज0
5. प्रबंधक आर जी बी बैंक शाखा सोडावास तह0 मुण्डावर अलवर , राज0
6. प्रबंधक पंजाब नैशनल बैंक शाखा जाट बहरोड तह0 मुण्डावर जिला अलवर , राज0

–: प्रतिवादीगण

दावा:– इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हु0ई0 दवामी

....

–: निर्णय :–

दिनांक :– 02/03/2020

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकीलवादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि आराजी साबिक ख0 न0 474 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा जिसके साबिक खसरा नंबर 475 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल ख0 न0 713/1.01, 714/1.02, 715/0.16, 716/1.010, 718/1.015, 721/1.05 है0 कुल किता 6 रकबा 7 बिघा 9 बिस्वा वाके ग्राम छापूर हाल धोकलनगर तहसील मुण्डावर में पैमूद किये गये है जिसमें से खसरा नंबर 713, 714, 718 व 721 इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। आराजी उक्त साबिक में मिनवादीगण का 1/3 भाग प्रतिवादी संख्या 01 ल0 03 का 1/3 भाग व इसर पुत्र हीरा अहीर का 1/3 भाग कब्जा काश्त खातेदारी का रहा है तथा उक्तानुसार ही पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा सैटेलमेन्ट के दौरान इसर पुत्र हीरा ने अपना 1/3 भाग को अलग कायम कराकर खसरा नंबर 715, 716 का खाता अलग करा लिया

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned with CamScanner

जिससे वादीगण को कोई ऐतराज नहीं तथा विवादित आराजी पर मिनवादीगण व प्रतिवादीगण अपने–अपने 1/2–1/2 भाग पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे थे और मिनवादी संख्या 02 ने अपने हिस्से में से 1/6 भाग का बेचान कर दिया। इस प्रकार मिनवादी संख्या 01 अपने 1/4 भाग पर व मिनवादी संख्या 02 अपने 1/12 भाग पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त खातेदार चले आ रहे है। मौके पर इसी प्रकार वास्तविक रूप से काबिज है। सैटेलमेन्ट द्वारा 1/3 भाग के खातेदार इसर के हिस्से खसरा नंबर 715, 716 अलग कर खाता अलग कायम कर दिया किन्तु शेष रकबा ख0नं0 713, 714, 718, 721 विवादित आराजी में हिस्सा का अंकन सहवन से पूर्व रिकॉर्ड अनुसार ही कर दिया जो खिलाफ कानून व खिलाफ मौका व गलत है जबकि सही वादीगण 1/2 भाग प्रतिवादीगण 1/2 भाग के इन्द्राज का अंकन करना चाहिये था। इसलिए विवादित आराजी का इन्द्राज काबिल दुरूस्त है। मिनवादीगण के हक अपूक कानूनन रक्षित है इसलिए विवादित आराजीयात को दुरूस्त कराकर वादी संख्या 01 को 1/4 भाग व वादी संख्या 02 को 1/12 भाग व प्रतिवादीगण का 1/2 भाग का अंकन दर्ज कराने के अधिकारी है आदि–आदि का निवेदन करते हुये वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर विवादित आराजी में मिनवादी संख्या 01 को 1/4 भाग व वादी संख्या 02 को 1/12 भाग व प्रतिवादीगण संख्या 01 ल0 03 को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी प्रकार रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को डिक्री हु0ई0 दवामी से पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण के कब्जेकाश्त में मजाहमत पैदा नहीं करे, पाबन्द रहे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने की स्थिति में इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबन्दी संवत 2012–15 प्रदश–1, नकल जमाबन्दी 2016–19 प्रदर्श–2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी संवत 2029 प्रदर्श–4 पेश की एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ–पत्र छाजूसिंह पी.डब्ल्यू.–1, मदनसिंह पी. डब्ल्यू.–2, वेदूसिंह पी.डब्ल्यू.–3 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने लिखित बहस पेश की। मुताबिक प्रस्तुत लिखित बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिमनों को दोहराते हुये अभिकथन अंकित किया है कि सैटेलमेन्ट विभाग द्वारा विवादित आराजी के 1/3 भाग के खातेदार इसर के हिस्से खसरा नंबर 715 व 716 का खाता अलग कायम कर दिया लेकिन विवादित आराजी में इसर पुत्र हीरा का 1/3 हिस्सा मानते हुए अंकन सहवन से पूर्व रिकॉर्ड अनुसार ही दर्ज कर दिया जबकि सही रूप से वादीगण का 1/2 भाग व प्रतिवादीगण 01 ल0 03 का 1/2 भाग के इन्द्राज का अंकन करना चाहिए था। वादीगण व प्रतिवादीगण इसी अनुसार खातेदार काश्तकार है इसलिए विवादित आराजी का

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज॰

Scanned with CamScanner

इन्द्राज काबिल दुरूस्त है तथा मिनवादीगण के हक हकू कानूनन रक्षित है इसलिए मिनवादीगण विवादित आराजीयात के इन्द्राज 1/3–2/3 भाग को दुरूस्त कराकर वादी संख्या 01 को 1/4 भाग व वादी संख्या 02 को 1/12 भाग तथा प्रतिवादीगण 01 ल0 03 को 1/2 भाग का अंकन दर्ज कराने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दी संवत 2012–15 पेश की है जिसके खाता संख्या 16 में वादीगण के पिता फकीर सिंह का 1/3 हिस्सा दर्ज है व जमाबंदी संवत 2016–19 के खाता संख्या 74 में भी पिता फकीर सिंह का 1/3 हिस्सा दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल पेश है व जमाबन्दी संवत 2029 पेश की है जिसमें 1/3 भाग का खाता संख्या 4 बना दिया जिसमें वादीगण का 1/2 भाग के स्थान पर 1/3 भाग गलत दर्ज किया है। ठीक इसी प्रकार दावा के समर्थन में गवाहान पी. डब्ल्यू 1, 2, 3 ने भी वाद की ताईद की है आदि–आदि का अंकन करते हुये वादीगण के वाद को डिक्री किया जाकर निर्णित किये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादी की प्रस्तुत लिखित बहस का गहनता से अवलोकन उपरांत व पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में आराजी खसरा नंबर 713/1.01, 714/1.02, 718/1.015, 721/1.05 हाल धोकलनगर तहसील मुण्डावर के बाबत का वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात में से वादी संख्या 01 को 1/4 भाग का व वादी संख्या 02 को 1/12 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण के हिस्से आराजी की हद तक प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 के नाम हो रहे राजस्व रिकॉर्ड में से नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है यानि वादी संख्या 01 को 1/4 भाग व वादी संख्या 02 को 1/12 भाग व प्रतिवादीगण 01 ल0 03 को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे एवं बैंक रहन की स्थिति में उभयपक्षकारान को आयी हिस्से, आराजी, रकबा से बैंक ऋण राशि वसूलनीय रहेगी। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 02.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned with CamScanner

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— सुनिता यादव (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
75/2009	30.03.2009	02.03.2020

उनवान

1. गातादीन उम्र करीब 45 साल
2. छाजूसिंह उम्र करीब 60 साल पुत्रान् फकीरसिंह जाति राजपूत निवासी छापूर मुण्डावर जिला अलवर , राज0

—: वादी

बनाम

1. नन्दसिंह
2. नागरसिंह
3. सत्यनारायणसिंह पुत्रान सुरजभान जातियान राजपूत निवासीयान छापूर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0।
5. प्रबंधक आर जी बी बैंक शाखा सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
6. प्रबंधक पंजाब नैशनल बैंक शाखा जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण

दावाः— इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हु0ई0 दवामी

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री अशोक चौधरी एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से **श्री हसंराज यादव एडवोकट की उपस्थिति** में इस वाद में **आज दिनांक 02.03.2020** को **श्रीमति सुनिता यादव, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है:—**

अतः वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में आराजी खसरा नंबर 713/1.01, 714/1.02, 718/1.015, 721/1.05 हाल धोकलनगर तहसील मुण्डावर के बाबत का वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात में से वादी संख्या 01 को 1/4 भाग का व वादी संख्या 02 को 1/12 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण के हिस्से आराजी की हद तक प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 के नाम हो रहे राजस्व रिकॉर्ड में से नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है यानि वादी संख्या 01 को 1/4 भाग व वादी संख्या 02 को 1/12 भाग व प्रतिवादीगण 01 ल0 03 को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे एवं बैंक रहन की स्थिति में उभय पक्षकारान को आयी हिस्से, आराजी, रकबा से बैंक ऋण राशि वसूलनीय रहेगी। वाद शीर्षक निर्णय एवं पर्चा डिक्री का अभिन्न अग रहेगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02.03.2020 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

2/3/20

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर राज0

Scanned with CamScanner